न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

वाद पत्र संख्या ::– 53/2016

1 श्री बंशीलाल पिता हीरा जाति धाकंड निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
मृतक के बजाय :–
1/1– रामेश्वर पुत्र बंशीलाल धाकड निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
1/2– मंजूबाई पुत्री बंशीलाल धाकड निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
2 श्रीमती कुकीबाई पत्नी बंशीलाल धाकड निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
वादीगण

बनाम

1 मोती मुतबन्ना गोपी गुर्जर निवासी मांडना तह0 बेगूँ
2 नंदूबाई पत्नी राजू गुर्जर निवासी मांडना तह0 बेगूँ
3 भोजराज पिता श्यामलाल गुर्जर निवासी मांडना तह0 बेगूँ
4 लीलाबाई पिता श्यामलाल गुर्जर निवासी मांडना तह0 बेगूँ
5 मनभरी पिता श्यामलाल गुर्जर निवासी मांडना तह0 बेगूँ
6 जडावबाई पत्नी स्व0 श्यामलाल गुर्जर निवासी मांडना तह0 बेगूँ
7 बदामबाई पत्नी भैरूलाल जी गंवार निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
8 बंशीलाल पिता प्यारचन्द धाकड निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
9 कैलाशचन्द्र पिता प्यारचंद्र धाकड निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
10 खेमराज पिता मेघराज धाकड निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
11 धूलीबाई पिता स्व0 चुन्नीलाल धाकड निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
हाल पत्नी रतनलाल धाकड निवासी नालखेडी तह0 बेगूँ
12 भूलाबाई पिता स्व0 चुन्नीलाल धाकड निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
हाल पत्नी प्रभूलाल धाकड निवासी तारापीपली तह0 बेगूँ
13 राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय जी चितौडगढ़
14 भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ जिला चितौडगढ़
प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादीगण
श्री एस.के.बिल्लू
अधिवक्ता प्रतिवादी 11

निर्णय दिनांक ::– 29.09.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के संयुक्त खातेदारी में ग्राम मांडना पटवार हल्का सुवानियॉ की वर्तमान आराजी संख्या 44 रकबा 4.362 हैक्टर भूमि अंकित स्थित है जिसके भूप्रबंध पूर्व के आराजी संख्या 6 रकबा 8.99 हैक्टर थे। उक्त आराजी भूप्रवंध पूर्व गोपी गोकल पिता होकम गुर्जर निवासी मांडना के नाम आराजी संख्या 6 रकबा 8.99 एकड के रूप में दर्ज रेकार्ड थी जिसमें से वादी कमांक 1 के पिता हीरा पिता जयचंद्र जी धाकड ने भू–प्रवंध पूर्व का रकबा 5 बीघा जरिये पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 27.10.1970 को निष्पादित एवं दिनांक 7.05.1970 को पंजीकृत खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जो आज तक बदस्तुर चला आ रहा है।

यह कि उक्त भूमि खरीद के समय भूप्रबंध की कार्यवाही लम्बित होने से विकयपत्र के आधार पर नामान्तरण नहीं हो सका एवं भूप्रवंध पश्चात उक्त खरीदशुदा भूमि का वादी के पिता के पक्ष में उक्त विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 103 स्वीकृत हुआ जिसमें वादी के पिता हिस्सा गत आराजी नम्वर 6 के नवीन आराजी संख्या 44 रकबा 26.बीघा 19 बिस्वा का हिस्सा 2/10 के रूप में दर्ज किया गया जबकि भूप्रवंध पूर्व जरीब 1852.5 फिट की होकर भूप्रबंध पश्चात

फिट की हो जाने से पूर्व का रकबा 5 बीघा का नवीन रकबा 6.25 बीघा या हिस्सा ता है जो दर्ज होना चाहिए था जो नही किये जाने से उक्त नामान्तरण अंकगणितीय भूल है जिसे कभी भी सुधारा जा सकता है।

यह कि वादी संख्या 1 के पिता हीरा पिता जयचंद्र धाकड द्वारा भूप्रबंध पूर्व का रकबा 5 ा जो भूप्रबंध पश्चात आराजी संख्या 44 रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा का हिस्सा 3/13 बनता है, वं मौके पर भी वादी संख्या 1 का इसी अनुसार कब्जा काश्त होने से वादी वर्तमान आराजी संख्या 44 रकबा 4.362 हैक्टर भूमि का हिस्सा 3/13 अपने नाम विकेता के वारिस मोती प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से से कम करा कर दर्ज कराने का अधिकारी है।

यह कि वादी कमांक 1 उक्त आराजी में अपना हिस्सा 3/13 घोषित करा बाद घोषणा जरिये बॅटवाडा पृथक दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी है, साथ ही वादी कमांक 1 के पिता ने उक्त आराजी मे से भूमि खरीद के साथ उक्त आराजी में स्थित कुआ (खोदा हुआ चाह) भी खरीद किया है जिससे चाह भूमि भी वादी कमांक 1 स्वतंत्र रूप से अपने अकेले के खातेदारी की होने की घोषणा कराने का अधिकारी है।

यह कि वादी कमांक 1 व 2 आपस में पति पत्नी होकर एक ही ईकाई है एवं वादी कमांक 2 की उक त आराजी संख्या 44 में हिस्सा 3/26 भूमि खरीद सुदा होने से वादी कमांक 1 के साथ अपने दर्ज हिस्सा भूमि का जरिये बॅटवाडा पृथक कराने की अधिकारीणी होने से वादीया कमांक 2 बनी हैं। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को राजस्व रेकार्ड में वादी संख्या 1 का हिस्सा कम दर्ज हो जाने व कुआ वादी के नाम दर्ज नही होने एवं बॅटवाडा कराने की कार्यवाही बाबत दिनांक 3.12.2015 को कहा तो उसने मना कर दिया जिससे वादीगण को यह वाद वास्ते घोषणा एवं बॅटवाडा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि उक्त ग्राम मांडना की आराजी संख्या 44 रकबा 4.3620 हैक्टर भूमि वादी कमांक 1 का हिस्सा 3/13 वादी कमांक 2 का हिस्सा 3/26 प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 10/65 (12/65 मे से वादी कमांक 1 को मिले वाला 2/65 कम करने से) प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का हिस्सा 1/10, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का हिस्सा 1/10 एवं प्रतिवादी संख्या 10,11,12 (मृतक खातेदार चुन्नीलाल जी की वारिस) का हिस्सा 1/10 अनुसार काविज काश्त होने से व इसी अनुसार हिस्सा बनने से उक्त सम्पूर्ण रकबा मे से चाह भूमि का वादी संख्या 1 के नाम स्वतंत्र दर्ज करते हुए शेष रकबा भूमि को उक्त हिस्सानुसार होने की घोषणा करा वाद घोषणा हिस्सा आराजी का विभाजन कराये जाने हेतु वादीगण का यह वाद न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण दिनांक 3.12.2015 को वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को खाता सही करा बॅटवाडा कराने की कहने पर मना कर देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वाद वर्णित आराजी न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

यह कि वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करते है कि :–

(अ) कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान की जावे कि मौजा मांडना पटवार हल्का सुवानियॉ की आराजी संख्या 44 रकबा 4.3620 हैक्टर भूमि मे वादी कमांक 1 का हिस्सा 3/13 वादी कमांक 2 का हिस्सा 3/26 प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 10/65 (12/65 मे से वादी कमांक 1 को मिले वाला 2/65 कम करने से) प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का हिस्सा 1/10, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का हिस्सा 1/10 एवं प्रतिवादी संख्या 10,11,12 का हिस्सा 1/10 होकर राजस्व रेकार्ड में इसी अनुसार दर्ज कराने के अधिकारी है।

(ब) कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की विभाजन की डिकी प्रदान की जावे कि वाद घोषणा उक्त हिस्सा आराजी संख्या 44 मे से चाह भूमि वादी कमांक 1 के नाम स्वतंत्र दर्ज करते हुए शेष भूमि का उक्त घोषित हिस्सानुसार मौके पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का काविज अनुसार विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में खाता पृथक पृथक दर्ज किया जावें।

अन्य कोई सहायता जो सुलभ वादीगण हो प्रदान की जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया प्रवितादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 से 10 व 12 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए लेकिन प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने पत्रावली मे प्रतिवादी संख्या 1 से 10 व 12 से 14 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्यसा 11 की ओर से अधिवकता श्री एस.के.बिल्लू ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 11 को जवाब हेतु कई अवसर एवं अंतिम अवसर व कोस्ट पर भी अवसर दिये गये किन्तु प्रतिवादी संख्या 11 की ओरसे जवाब प्रस्तुत नहीं होने से जवाब दावा बन्द किये जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 11 का जवाब बंद होने के पश्चात पत्रावली में वादी रामेश्वर पिता बंशीलाल धाकड एवं गवाह भैरू पिता रामा जी गंवार का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गयें। मुख्य परीक्षण में वादी रामेश्वर पिता बंशीलाल द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं किये जाने से जिरह निल रही एवं पुनः परीक्षण भी निल रहा है। इस प्रकार वादीगण की साक्ष्य पूर्ण होने एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में कोई जवाब नहीं होनें से कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण की प्रस्तुत नहीं की गई है।

दावा पत्रावली में साक्ष्य वादीगण की एक तरफा पूर्ण होने के उपरान्त अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई, अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस को दावा पत्रावली के अनुसार ही करते हुए प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर भूप्रबंध पश्चात बढे हुए रकबे की घोषणा कराने एवं हिस्सा अनुसार ही वाद वर्णित आराजीयात का विभाजन किये जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया गया है। वहस अधिवक्ता वादीगण की सुने जाने के पश्चात दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया।

प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा माण्डना की सम्वत 2072 के खाता संख्या 125 मे दर्ज आराजी संख्या 44 रकबा 4.3620 हैक्टर भूमि के खातेदारान का करने पर पाया कि उक्त भूमि के खातेदार श्री बंशीलाल पिता हीरा 1/5 सा.ठुकराई हा.मु. मेघनिवास कुकीबाई पति बंशीलाल धाकड सा. मेघनिवास 3/26 मोती मुतबन्ना गोपी 12/65, सा.देह मु. नन्दुबाई बेवा राजू लाडूबाई पुत्री राजू भोजराज लीला मनभरी पिता श्यामलाल मु. जडावबाई बेवा श्यामलाल 1/10 श्रीमती बदामबाई पत्नी भैरूलाल 1/5 गंवार सा. मेघनिवास 1/58 बंशीलाल कैलाशचन्द्र पिता प्यारचन्द्र 1/10 धाकड सा. मेघनिवास खेमराज चुन्नीलाल पिता मेघराज 1/10 धाकड सा. मेघनिवास खातेदार के नाम पर दर्ज अंकित है।

प्रदर्श–2 पंजीकृत विकय विलेख आराजी का है जिसमें गोपी गोकल पिता होकम गुर्जर के द्वारा अपने खाते की आराजी 6 रकबा 8.99 एकड भूमि में 5बीघा भूमि का बेचान 2700/– रूपये में श्री हीरा जी पिता जेचन्द धाकड को दिनांक 16.04.1970 को विकय किया गया। यह विकय गत आराजी संख्या 6 मे से किया गया है। प्रदर्श– 3 नकल नामान्तरण संख्या 103 है। यह नामान्तरण पंजीकृत विकय विलेख से हीरा जी पिता जयचन्द्र के नाम पर खोला गया है जिसमें केता हीरा जी के नाम पर पंजीकृत विकय विलेख से जो आराजी दर्ज की गई है वह सेटलमेन्ट बाद में दर्ज की गई है यह नामान्तरण दिंनाक 21.08.1980 को खोला गया है, जैसा कि वादीगण के अधिवक्ता का कथन है कि कमी रकवा वादी के नाम दर्ज किया गया है उससे हम सहमत है क्यो कि सेटलमेन्ट से पूर्व की जरीव 152.5 फिट थी तथा सेटलमेन्ट के पश्चात जरीब 132 फिट रही है, यदि यह विकय का इन्द्राज उसी समय सेटलमेन्ट के वक्त कर दिया जाता तो निश्चित ही बढा हुआ रकबा केता के खाते दर्ज होता इस प्रकार वादपत्र के कथन एव अधिवक्ता वादीगण की बहस हम सहमत है। प्रदर्श–3 नकल जमाबंदी मौजा मडावदा की सम्वत 2028 से 37 की है जिसमें गत आराजी संख्या 44 रकवा 26 वीघा 19 बिस्वा भूमि के खातेदार गोपी गोकल पिता होकम गुर्जर दर्ज अंकित है। इसके अलावा अन्य आराजी व रकबा भी उनके खाते में दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श–5 भी नकल जमावंदी मौजा मांडना की सम्वत 2034 से 37 की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 44 रकबा 26बीघा 19 विस्वा भूमि के खातेदार मोती मुतवन्ना गोपी गोकल पिता होकम गुर्जर दर्ज है। प्रदर्श–6 नकल जमावंदी मे आराजी संख्या 44 रकवा 26वीघा 19 विस्वा मे से 2/10 हिस्से का खातेदार हीरा पिता जेचन्द्र धाकड का दर्ज किया गया है।

इन सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, इस दावा पत्रावली में खसरा सेटलमेन्ट (नये पुराने आराजी नम्बरान व रकबे के अंकन का खत) को वादीगण स्तुत नहीं किया गया है। लेकिन पत्रावली मे प्रस्ततु नकल नामान्तरण संख्या 102 जो कि – 3 के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान आराजी नम्बर 44 का अंकन है तथा र्श– 4 में भी नवीन आराजी संख्या 44 रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा का अंकन है। सभी दस्तावेज के अवलोकन से वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा मांडना प0ह0 सुवानिया की आराजी संख्या 44 रकबा 4.3620 हैक्टर भूमि मे वादी कमांक 1 का हिस्सा 3/13 वादी कमांक 2 का हिस्सा 3/26 प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 10/65 (12/65 मे से वादी कमांक 1 को मिले वाला 2/65 कम करने से) प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का हिस्सा 1/10, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का हिस्सा 1/10 एवं प्रतिवादी संख्या 10,11,12 का हिस्सा 1/10 होकर राजस्व रेकार्ड दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। आराजी संख्या 44 मे से चाह भूमि वादी कमांक 1 के नाम स्वतंत्र दर्ज करते हुए तथा बाद घोषणा हिस्से अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार भूमि का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 2000/– कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है। प्राथमिक डिकी प्रति तहसीलदार बेगूं को वास्तें पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वर्णित कृषि भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए मय नक्शाट्रेस के साथ इस न्यायालय मे प्रस्तुत करें।

उक्त प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र कमांक/राजस्व /2025/808 दिनांक 23.09.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिकी किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिकी किया जाता है, मौजा मांडना पटवार हल्का सुवानिया की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

वादीगण

1– रामेश्वर पिता बंशीलाल धाकड देह खातेदार रहन बी. ओ. बी. शाखा सामरिया

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
44 मेसे	1.000	बंजड	1.82
44 मेसे	0.026	बंजड	1.03
कीता– 02	1.026 हैक्टर		1.85

2– कुकीबाई पत्नी बंशीलाल धाकड सा.मेघनिवास खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
44 मेसे	0.503	बंजड	0.92
कीता– 01	0.503 हैक्टर		0.92

मुतबन्ना गोपी गुर्जर सा.माडंना खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
44 मेसे	0.6510	बंजड	1.25
कीता– 01	0.6510 हैक्टर		1.25

4– भोजराज, लीलाबाई,मनभरी पिता श्यामलाल, जडावबाईपति स्व. श्यामलाल, नंदूबाई पति राजू गुर्जर हिस्सा 1/10 सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
44 मेसे	0.4362	बंजड	0.81
कीता– 01	0.4362 हैक्टर		0.81

5– बदामबाईपति भैरूलाल गवांर, नि. मेघनिवास रहन बी.र.बी. शाखा सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
44 मेसे	0.8724	बंजड	1.56
कीता– 01	0.8724 हैक्टर		1.56

6– बादानबाई 1/2 कैलाशचन्द्र 1/2 पिता प्यारचन्द्र धाकड, सा.मेघनिवास खातेदार रहन हिस्सा कैलाशचन्द्रका ब.रा. ग्रा. बैक शाखा काटून्दा

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
44 मेसे	0.4362	बंजड	0.81
कीता– 01	0.4362 हैक्टर		0.81

7– खेमराज पिता मेघराज धाकड 1/2 नि. मेघनिवास, धूलिबाई पिता स्व. चुन्नीलाल हा.मु.पति रतनलाल धाकड 1/4 नि. नालखेडी भूलाबाई पिता स्व. चुन्नीलाल हा.मु.पति प्रभूलाल धाकड 1/4 नि. तारापीपली सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
44 मेसे	0.4372	बंजड	0.82
कीता– 01	0.4372 हैक्टर		0.82

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

ायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठसीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

वा पत्र संख्या ::– 53/2016

1 श्री बंशीलाल पिता हीरा जाति धाकंड निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
मृतक के बजाय :–
1/1– रामेश्वर पुत्र बंशीलाल धाकड निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
1/2– मंजूबाई पुत्री बंशीलाल धाकड निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
2 श्रीमती कुकीबाई पत्नी बंशीलाल धाकड निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1 मोती मुतबन्ना गोपी गुर्जर निवासी मांडना तह0 बेगूँ
2 नंदूबाई पत्नी राजू गुर्जर निवासी मांडना तह0 बेगूँ
3 भोजराज पिता श्यामलाल गुर्जर निवासी मांडना तह0 बेगूँ
4 लीलाबाई पिता श्यामलाल गुर्जर निवासी मांडना तह0 बेगूँ
5 मनभरी पिता श्यामलाल गुर्जर निवासी मांडना तह0 बेगूँ
6 जडावबाई पत्नी स्व0 श्यामलाल गुर्जर निवासी मांडना तह0 बेगूँ
7 बदामबाई पत्नी भैरूलाल जी गंवार निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
8 बंशीलाल पिता प्यारचन्द धाकड निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
9 कैलाशचन्द्र पिता प्यारचंद्र धाकड निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
10 खेमराज पिता मेघराज धाकड निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
11 धूलीबाई पिता स्व0 चुन्नीलाल धाकड निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
हाल पत्नी रतनलाल धाकड निवासी नालखेडी तह0 बेगूँ
12 भूलाबाई पिता स्व0 चुन्नीलाल धाकड निवासी मेघनिवास तह0 बेगूँ
हाल पत्नी प्रभूलाल धाकड निवासी तारापीपली तह0 बेगूँ
13 राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय जी चितौडगढ़
14 भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री .....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88–53 आर.टी. एक्ट में आज दिनांक 29.09.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थांन काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जांता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा मांडना पटवार हल्का सुवानिया की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

मेश्वर पिता बंशीलाल धाकड देह खातेदार रहन बी. ओ. बी. शाखा सामरिया

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
44 मेसे	1.000	बंजड	1.82
44 मेसे	0.026	बंजड	1.03
कीता– 02	1.026 हैक्टर		1.85

2– कुकीबाई पत्नी बंशीलाल धाकड सा.मेघनिवास खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
44 मेसे	0.503	बंजड	0.92
कीता– 01	0.503 हैक्टर		.0.92

3– मोती मुतबन्ना गोपी गुर्जर सा.माडंना खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
44 मेसे	0.6510	बंजड	1.25
कीता– 01	0.6510 हैक्टर		1.25

4– भोजराज, लीलाबाई,मनभरी पिता श्यामलाल, जडावबाईपति स्व. श्यामलाल, नंदूबाई पति राजू गुर्जर हिस्सा 1/10 सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
44 मेसे	0.4362	बंजड	0.81
कीता– 01	0.4362 हैक्टर		0.81

5– वदामबाईपति भैरूलाल गवांर, नि. मेघनिवास रहन बी.र.बी. शाखा सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
44 मेसे	0.8724	बंजड	1.56
कीता– 01	0.8724 हैक्टर		1.56

6– वादानवाई 1/2 कैलाशचन्द्र 1/2 पिता प्यारचन्द्र धाकड, सा.मेघनिवास खातेदार रहन हिस्सा कैलाशचन्द्रका व.रा. ग्रा. बैक शाखा काटून्दा

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
44 मेसे	0.4362	बंजड	0.81
कीता– 01	0.4362 हैक्टर		0.81

अमराज पिता मेघराज धाकड 1/2 नि. मेघनिवास, धूलिबाई पिता स्व. चुन्नीलाल हा.मु.पति लाल धाकड 1/4 नि. नालखेडी भूलाबाई पिता स्व. चुन्नीलाल हा.मु.पति प्रभूलाल धाकड 1/4 तारापीपली सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
44 मेसे	0.4372	बंजड	0.82
कीता– 01	0.4372 हैक्टर		0.82

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2025/ 674. दिनांक :– 29.9.2025

न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी,
बेगूँ जिला चितौडगढ

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29.9.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे फर्द बटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट पर वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई, दावा अन्तिम डिक्री किया जाने हेतु निवेदन किया। वाद वादी का स्वीकार किया जाता है। दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर खेवाम हो।